सत्यमेव जयते

भारतीय उच्चायोग
कुआलालंपुर
***

मलेशिया में फँस रहे भारतीय नागरिकों के संबंध में

मलेशिया सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिनों तक वीज़ा-मुक्त प्रवेश (Visa-Free Entry) की सुविधा प्रदान की है। इस व्यवस्था के तहत भारतीय पासपोर्ट धारक निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 30 दिनों तक बिना वीज़ा के मलेशिया में प्रवेश कर सकते हैं। यह सुविधा रोजगार (नौकरी) के उद्देश्य से मलेशिया जाने के लिए नहीं है।

2. भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए मलेशिया सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें निम्नलिखित हैं—

- पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने हो।
- वापसी (रिटर्न) का पुष्ट हवाई टिकट हो।
- होटल बुकिंग की पुष्टि हो।
- यात्रा की तिथि से 3 दिन पहले अनिवार्य रूप से मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड (MDAC) ऑनलाइन भरना आवश्यक है।

MDAC भरने के लिए वेबसाइट:
https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main

3. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें भारतीय नागरिक उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे यात्रियों को मलेशिया के हवाई अड्डों पर प्रवेश नहीं दिया जाता। इसके बाद जिस एयरलाइन से वे मलेशिया पहुँचे होते हैं, उसी एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें उनके प्रस्थान स्थल पर वापस भेजे।

4. इन मामलों में बड़ी संख्या उन भारतीय नागरिकों की होती है जिनके पास ईसीआर (Emigration Check Required) पासपोर्ट होता है। उन्हें भारत और मलेशिया के कुछ धोखेबाज एजेंट नौकरी का झूठा लालच देकर गुमराह करते हैं। प्रभावित लोगों में अधिकांश अकुशल या अर्धकुशल श्रमिक होते हैं, जो मुख्यतः तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश से आते हैं।

5. भारतीय उच्चायोग के संज्ञान में निम्नलिखित चिंताजनक बातें आई हैं—

(I) कई भारतीय नागरिक पर्यटन के नाम पर मलेशिया जाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य नौकरी तलाशना होता है। ऐसे लोगों को अक्सर प्रवेश नहीं मिलता। जो प्रवेश कर लेते हैं, वे 30 दिन से अधिक रुक जाते हैं और अवैध प्रवासी घोषित कर दिए जाते हैं।

(कुछ वास्तविक पर्यटकों को भी केवल इसलिए प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि उनके पास वापसी का टिकट, होटल बुकिंग या पर्याप्त आर्थिक संसाधनों जैसे आवश्यक दस्तावेज नहीं होते।

6. यह देखा गया है कि भारत और मलेशिया के कुछ धोखेबाज एजेंट बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को नौकरी का लालच देकर पर्यटक के रूप में मलेशिया भेजते हैं, ताकि वे 30 दिनों की वीज़ा-मुक्त सुविधा का लाभ उठा सकें। 30 दिन पूरे होने के बाद ऐसे लोग अवैध प्रवासी बन जाते हैं और स्थानीय स्तर पर शोषण का शिकार होते हैं। उन्हें मलेशिया की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हिरासत, कारावास तथा अन्य कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

7. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स (POE) तथा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) कार्यालयों से निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है—

(क) जन-जागरूकता एवं प्रस्थान से पूर्व जांच

(i) सभी POE कार्यालय स्थानीय भाषा में जन-जागरूकता अभियान चलाएँ।

(ii) विशेष रूप से ECR पासपोर्ट धारकों की कड़ी जांच की जाए, खासकर तिरुचिरापल्ली (त्रिची), चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, बेंगलुरु और जालंधर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से मलेशिया जाने वाले यात्रियों की।

(ख) BOI अधिकारियों द्वारा प्रस्थान से पूर्व पूछताछ

विशेष रूप से पहली बार यात्रा करने वाले ECR पासपोर्ट धारकों से निम्नलिखित जानकारी ली जाए—

(i) यात्रा का उद्देश्य और अवधि

(ii) वापसी टिकट की पुष्टि

(iii) ठहरने की व्यवस्था और उसका प्रमाण

(iv) यदि कोई ट्रैवल एजेंट शामिल है, तो उसका नाम, पता और संपर्क विवरण

(v) पूरी यात्रा अवधि के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रमाण

(ग) धोखेबाज एजेंटों की पहचान और सूचना

(i) जिन यात्रियों को एजेंटों ने धोखा दिया है, उन्हें संबंधित एजेंटों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(ii) यह जानकारी राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

(घ) जागरूकता अभियान

(i) तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएँ।

(ii) लोगों को सही यात्रा प्रक्रिया तथा रोजगार के उद्देश्य से वीज़ा-मुक्त प्रवेश सुविधा के दुरुपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी दी जाए।

8. इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भारतीय उच्चायोग की वेबसाइट https://hcikl.gov.in पर उपलब्ध हैं। इनका उपयोग संदर्भ तथा जन-जागरूकता के लिए किया जा सकता है।

दिनांक: 09.09.2025

***